

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1410]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2015/आषाढ़ 10, 1937

No. 1410]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2015/ASHADHA 10, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2015

का.आ. 1791(अ).—केन्द्रीय सरकार, काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015

का 22) की धारा 59 और धारा 63 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 59 के उपबंधों के अधीन--

(i) 30 सितंबर, 2015 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको या जिसके पूर्व कोई व्यक्ति भारत के बाहर अवस्थित किसी अप्रकटित आस्ति के संबंध में कोई घोषणा कर सकेगा; और

(ii) 31 दिसंबर, 2015 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको या जिसके पूर्व कोई व्यक्ति भारत के बाहर अवस्थित ऐसी अप्रकटित आस्ति के संबंध में, जो इस प्रकार घोषित की गई है, कर और शास्ति का संदाय करेगा।

[अधिसूचना सं. 57/2015/फा.सं. 133/33/2015-टीपीएल]

अमित कटोच, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st July, 2015

S.O. 1791(E).—In exercise of the powers conferred by section 59 and sub-section (1) of section 63 of the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 (22 of 2015), the Central Government hereby appoints --

- (i) the 30th day of September, 2015 as the date on or before which a person may make a declaration in respect of an undisclosed asset located outside India;
- (ii) the 31st day of December, 2015 as the date on or before which a person shall pay the tax and penalty in respect of the undisclosed asset located outside India so declared,

under the provisions of section 59 of the said Act.

[Notification No. 57/2015/F.No. 133/33/2015-TPL]

AMIT KATOCH, Under Secy.